Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 56-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 29, 2019 (CHAITRA 8, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 मार्च, 2019

संख्या 44/आ०–1/पं०अ०1/1914/धा० 58/2019.— पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 58 की उप–धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप–धारा (1) और उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम इसके द्वारा, हरियाणा आबकारी नियम, 2019, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) ये प्रथम अप्रैल, 2019, से लागू होंगे।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) है;

(ख) ''अनुलग्नक'' से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुलग्नक;

(ग) ''वित्तीय वर्ष'' से अभिप्राय है, प्रथम अप्रैल से शुरू होने वाला और आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होंगे जो क्रमशः उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

3. इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी को जारी किया की गई अनुज्ञप्ति वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी। अनुज्ञप्ति की अवधि।

4. अनुज्ञप्तियों का वर्गीकरण, ऐसा होगा जो अनुलग्नक– I में विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुज्ञप्तियों का वर्गीकरण।

5. वित्तीय वर्ष के लिए अनु0–1खच अनुज्ञप्तियों की अधिकतम सख्ंया चार (4) होगी और अनुज्ञप्तिधारी सम्पूर्ण राज्य में आपूर्ति करने का हकदार होगा। अनु0–1खच अनुज्ञप्तियों की संख्या।

भारत में निर्मित विदेशी मदिरा/देशी मदिरा के लिए खुदरा ठेकों की संख्या (अनु0–2/अनु0–14क)।

6. भारत में निर्मित विदेशी मदिरा/देशी मदिरा(अनु0–2/अनु0–14क) के खुदरा ठेकों की अधिकतम संख्या वित्त वर्ष के लिए दो हजार पॉच सौ (2500) होगी।

भारत में निर्मित विदेशी मदिरा/देशी मदिरा (अनु0–1/अनु0–13) के लिए जिला–वार थोक ठेके।

7. भारत में निर्मित विदेशी मदिरा/देशी मदिरा(अनु0–1/अनु0–13) के लिए जिला–वार थोक के ठेकों की अधिकतम संख्या, वित्त वर्ष के लिए ऐसी होगी जो अनुलग्नक–II में विनिर्दिष्ट की जाए।

अध्यारोही प्रभाव।

8. हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

अनुलग्नक– I

(देखिए नियम 4)

क्रम संख्या	प्ररूप	किस्म	प्रदान करने का ढंग	प्रदान करने हेतु सशक्त प्राधिकारी	नवीकरण करने हेतु सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	अनु0–1	केवल जिले में खुदरा ठेकों के उच्चतम राजस्व का योगदानकर्ता को भारत में निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर का थोक ठेका	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
2	अनु0–1क	(i) केवल व्यापार के लिए विदेशी मदिरा का थोक तथा खुदरा ठेका	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
		(ii) प्रत्येक आबकारी जिले के उच्चतम बोलीदाता को विदेशी मदिरा का थोक तथा खुदरा ठेका	नियत फीस	कलक्टर	अनवीनीकरणीय
3	अनु0–1कख	गैर–शराब निर्माणकर्ता को भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञप्ति	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
4	अनु0–1कख1	गैर–शराब बनाने वाले को बीयर और वाईन की थोक अनुज्ञप्ति और बीयर और वाईन के ब्रांडो की बिक्री के लिए अनन्य अधिकार	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
5	अनु0–1ख	राज्य में अनु0–1 अनुज्ञप्तियों को भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट को बेचने के लिए थोक ठेका	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
6	अनु0–1ख1	हरियाणा के साथ–साथ अन्य राज्यों की आसवनियों तथा ब्रुअवरिज से बीयर, वाईन्ज, साईडर, शराब को आयात और बेचने लिए अनुज्ञप्ति	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर

क्रम संख्या	प्ररूप	किस्म	प्रदान करने का ढंग	प्रदान करने हेतु सशक्त प्राधिकारी	नवीकरण करने हेतु सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
7	अनु0–1–ख1–क	पीने के लिए तैयार पेय पदार्थों की बिक्री के लिए उनके सी और एफ एजेन्ट के सभी ब्रुअरीज को अनुज्ञप्ति	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
8	अनु0–1खच	आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, साईडर, वाईन, लिकर, रम, वोदका, जिन, ब्रांडी और इत्यादि की थोक अनुज्ञप्ति	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
9	अनु0–1–ग	हरियाणा राज्य में स्थित अनु0–1, अनु0–1ख के लिए आसवनी, शराब की भटटी / बॉटलिंग संयंत्र / वाईनरी द्वारा भारत में निर्मित विदेशी शराब बेचने का अधिकार	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
10	अनु0–1ब	राज्य में अनु0–1 अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति के लिए मदिरा का थोक ठेका	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
11	अनु0–2	भारत में निर्मित विदेशी मदिरा तथा बीयर का खुदरा ठेका	ई–टेंडर	कलक्टर	कलक्टर
12	अनु0–2क	परिसर से दूर केवल उपभोग के लिए जनता के लिए 50 डिग्री प्रुफ की रम और जिन की खुदरा बिक्री	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
13	अनु0–3	किसी होटल या डाक बंगले में विदेशी शराब की खुदरा बिक्री	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
14	अनु0–4	रेस्तरां में विदेशी शराब का खुदरा ठेका	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर

क्रम संख्या	प्ररूप	किस्म	प्रदान करने का ढंग	प्रदान करने हेतु सशक्त प्राधिकारी	नवीकरण करने हेतु सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
15	अनु0–4क	अनु0–4 / अनु0–5 के साथ जुडा आईस बार में बीयर का खुदरा ठेका	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
16	अनु0–5	रेस्तरां से जुडी बार में विदेशी मदिरा का खुदरा ठेका (अनु0–4 के लिए अनुपूरक)	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
17	अनु0–6	रेलवे रिफ्रेशमेन्ट रूम में विदेशी शराब का खुदरा ठेका	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
18	अनु0–7	रेलवे डाइनिंग कार में विदेशी शराब का खुदरा ठेका	नियत फीस	वित्तायुक्त	वित्तायुक्त
19	अनु0–8	परिसर से दूर विदेशी शराब का खुदरा ठेका(क्रमांक अनु0–3, अनु0–4, अनु0–6 तथा अनु0–7 को अनुपूरक)	नियत फीस	अनु0–7 के अनुपूरक के अलावा कलैक्टर, जब वित्तायुक्त द्वारा दी जायेगी	अनु0–7 के अनुपूरक के अलावा कलैक्टर, जब वित्तायुक्त द्वारा नवीनीकृत दी जायेगी
20	अनु0–9	मिलिट्री कैन्टीन में विदेशी मदिरा का खुदरा ठेका, जिसमें सैन्य कैन्टीन चलाने वाली यूनिट या जो क्लब की तर्ज पर रैजिमैनटली चलाई जाने वाली या बोर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डियॉ इन्डो तिब्बतन बोर्डर पुलिस फोर्स या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स संचालित कैंटीन भी शामिल हैं	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
21	अनु0–10	परिसर में तथा परिसर से दूर बीयर के उपभोग के लिए खुदरा ठेका	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
22	अनु0–10क	केवल ग्रामीण क्षेत्रों में परिसर से दूर की खपत के लिए 3 प्रतिशत मादक सामग्री वाली बीयर की खुदरा बिक्री	नियत फीस	कलक्टर	अनवीनीकरणीय

क्रम संख्या	प्ररूप	किस्म	प्रदान करने का ढंग	प्रदान करने हेतु सशक्त प्राधिकारी	नवीकरण करने हेतु सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
23	अनु0—10ख	शापिंग माल में स्थित डिपार्टमैन्टल स्टोर्स में वाईन, बीयर और आयातित विदेशी मदिरा का खुदरा ठेका	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
24	अनु0—10ग	माईक्रोबुअरी द्वारा तैयार की गई बीयर का खुदरा ठेका	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
25	अनु0—10ड	गुरूग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला जिले और आई०एम०टी० मानेसर में कम मादक पदार्थों के पेय का खुदरा ठेका	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
26	अनु0—11	विदेशी मदिरा की बॉटलिंग	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
27	अनु0—12	औषधीय मदिरा का ठेका	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
28	अनु0—12क	व्यवसायिक स्थानों पर शराब परोसने का अस्थायी अनुज्ञप्ति जैसे बैंक्वेट हाल, फार्म हाउस, सामुदायिक केन्द्र, विवाह स्थल इत्यादि	नियत फीस	उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी)	उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी)
29	अनु0—12ख	विदेशी मदिरा के खुदरा ठेके के लिए अनुज्ञप्ति स्थायी रूप से थियेटर या सिनेमा या मनोरंजन के अन्य ऐसे स्थान से जुडा हुआ है	निर्धारित फीस (प्लस सिनेमा की दशा में नियत फीस)	कलक्टर	कलक्टर
30	अनु0—12ग	क्लब में विदेशी मदिरा तथा बीयर के खुदरा ठेके के लिए अनुज्ञप्ति	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
31	अनु0—12गग	गोल्फ क्लबों को विदेशी मदिरा और बीयर के खुदरा ठेके के लिए अनुज्ञप्ति	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
32	अनु0—12घ	विशेष अवसर पर उपयोग के लिए निर्माण और पवित्र शराब के कब्जे के लिए	निशुल्क	कलक्टर	कलक्टर

क्रम संख्या	प्ररूप	किस्म	प्रदान करने का ढंग	प्रदान करने हेतु सशक्त प्राधिकारी	नवीकरण करने हेतु सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
33	अनु0—13	केवल जिले में खुदरा ठेके के उच्चतम राजस्व योगदानकर्ता के रूप में विदेशी मदिरा का थोक ठेका	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
34	अनु0—13क	केवल व्यापार के लिए 50 डिग्री प्रूफ की क्षमता की रम और जिन का थोक ठेका	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
35	अनु0—14	परिसर से दूर उपभोग के लिए देशी स्पिरिट का खुदरा ठेका	ई—टेंडर	कलक्टर	अनवीनीकरणीय
36	अनु0—14क	परिसर से दूर तथा परिसर पर उपभोग के लिए देशी स्पिरिट का खुदरा ठेका	ई— टेंडर	कलक्टर	अनवीनीकरणीय
37	अनु0—14ख	विशेष अवसर तथा मेलों पर देशी स्पिरिट का खुदरा ठेका	निजी कोन्ट्रैक्ट	वित्तायुक्त	वित्तायुक्त
38	अनु0—15	देशी स्पिरिट की बाटलिंग	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
39	अनु0—16	देशी स्पिरिट का विघटन	निशुल्क	कलक्टर	कलक्टर
40	अनु0—17	डिनेचर्ड स्पिरिट का थोक और/या खुदरा ठेका	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
41	अनु0—19	रेक्टिफाईड स्पिरिट का थोक और/या खुदरा ठेका	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर
42	अनु0—21	घंटो का विस्तार जिसके दौरान बिक्री की अनुमति दी गई है	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर

अनुलग्नक– II

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	जिला	एल –1 अनुज्ञप्ति की सख्यां	एल –13 अनुज्ञप्ति की सख्यां
1	2	3	4
1	अम्बाला	3	3
2	भिवानी	3	4
3	फरीदाबाद	6	5
4	फतेहाबाद	2	3
5	गुरूग्रम (पूर्व)	4	3
6	गुरूग्रम (पश्चिम)	4	4
7	हिसार	3	5
8	जगाधरी	3	3
9	झज्जर	3	3
10	जीन्द	2	4
11	कैथल	2	3
12	करनाल	4	6
13	कुरूक्षेत्र	2	2
14	मेवात	2	2
15	नारनौल	2	3
16	पलवल	3	3
17	पंचकुला	3	2
18	पानीपत	3	4
19	रिवाडी	4	3
20	रोहतक	3	3
21	सिरसा	3	5
22	सोनीपत	4	5

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 29th March, 2019

No. 44/X-1/P.A.1/1914/S.58/2019.— In exercise of the power conferred by sub-section (1) and Sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of section 58 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), the Governor of Haryana hereby makes the following Rules, namely:-

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Haryana Excise Rules, 2019. *Short title and Commencement*

(2) They shall come into force on the 1st April, 2019.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,- *Definitions.*

(a) "Act" means the Punjab Excise Act, 1914(Punjab Act 1 of 1914);

(b) "Annexure" means an annexure appended to these rules;

(c) "financial year" means the year commencing from the 1st April and ending on the 31st March of the following year.

(2) The words and expressions used herein and not define but defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. The license issued to a licensee under these rules shall be valid for a financial year. *Period of license*

4. The classification of licenses shall be such as specified in Annexure-I. *Classification of licenses*

5. The maximum number of L-1BF licenses shall be four(4) for the financial year *Number of L-1BF licenses*

6. The maximum number of retail outlets for Indian Made Foreign Liquor/Country Liquor (L-2/L-14A) shall be two thousand five hundred (2500) for the financial year. *Number of retail outlets for IMFL/CL (L-2/L-14A).*

7. The maximum number of district-wise wholesale outlets for Indian Made Foreign Liquor/Country Liquor (L-1/L-13), for the financial year shall be such as specified in Annexure-II. *District-wise Wholesale outlets for IMFL/CL (L-1/L-13).*

8. Notwithstanding anything contained inconsistent in the Haryana Liquor License Rule, 1970, the provisions of these rules shall have effect. *Overriding effect*

ANNEXURE-I

(See rule 4)

				Authority empowered to	
Serial Number	**Form**	**Nature**	**Mode of Grant**	**Grant**	**Renew**
1	L-1	Wholesale vend of Indian Made Foreign Liquor and beer to the highest revenue contributor of retail vends in the district only	Fixed fee	Collector	Collector
2	L-1-A	(i) Wholesale and retail vend of foreign liquor to the trade only	Fixed fee	Collector	Collector
		(ii) whole sale and retail vend of foreign liquor to the Highest bidder of each Excise District	Fixed fee	Collector	Not renewable
3	L.1AB	Wholesale license of Indian Made Foreign Liquor to non-distillers	Fixed fee	Collector	Collector
4	L.1AB1	Wholesale license of beer and wine to non-brewer and hold exclusive rights for the sale of brands of beer and wine	Fixed fee	Collector	Collector
5	L.1-B	Wholesale vend of Indian Made Foreign Spirit for sale to L-1 licenses in the State	Fixed fee	Collector	Collector
6	L.1-B1	License for import and sale of beer, Wines, Ciders, Liquor from the distilleries and breweries of the other states as well as of Haryana	Fixed fee	Collector	Collector
7	L.1-B1-A	License to all the breweries of their C and F agent for sale of ready to drink beverages	Fixed fee	Collector	Collector
8	L.1BF	Wholesale license of Imported Foreign Liquor, Beer, Cider, Wines, Liqueur, Rum, Vodka, Gin, Brandy and etc.	Fixed fee	Collector	Collector
9	L.1-C	Right to sell Indian Made Foreign Liquor by the distillery/brewery/bottling plant/winery to L-1, L-1-B located in the State of Haryana	Fixed fee	Collector	Collector

				Authority empowered to	
Serial Number	**Form**	**Nature**	**Mode of Grant**	**Grant**	**Renew**
10	L-1W	Wholesale vend of Wine for supply to L-1 Licensee in the State	Fixed fee	Collector	Collector
11	L-2	Retail vend of Indian Made foreign Liquor and beer	E-tender	Collector	Collector
12	L.2-A	Retail vend of Rum and Gin of the Strength of 50 degree proof to the public only for consumption “off the premises	Fixed fee	Collector	Collector
13	L-3	Retail vend of foreign liquor in a hotel or dak Bungalow	Fixed fee	Collector	Collector
14	L.4	Retail vend of foreign liquor in a restaurant	Fixed fee	Collector	Collector
15	L-4A	Retail vend of Beer in ice bar attached to L-4/L-5	Fixed fee	Collector	Collector
16	L.5	Retail vend of foreign liquor in a bar attached to a restaurant (Supplementary to Form L.4)	Fixed fee	Collector	Collector
17	L.6	Retail vend of foreign liquor in a railway refreshment room	Fixed fee	Collector	Collector
18	L.7	Retail vend of foreign liquor in a railway dining car	Fixed fee	Financial Commissioner	Financial Commissioner
19	L.8	Retail vend of foreign liquor off the premises (Supplementary to Nos. L.3, L.4, L.6 and L.7	Fixed fee	Collector except when supplementary to L.7, which shall be granted by the Financial Commissioner	Collector except when supplementary to L.7, which shall be renewed by the Financial Commissioner
20	L.9	Retail vend of foreign liquor in a Military canteen including unit run military canteens or those run regimently on club lines or in canteen run by Boarder Security Forces or National Security Guards or Indo Tibetan Boarder Police Force or Central Reserve Police Force	Fixed fee	Collector	Collector

				Authority empowered to	
Serial Number	**Form**	**Nature**	**Mode of Grant**	**Grant**	**Renew**
21	L.10	Retail vend of beer for consumption on and off the premises	Fixed and assessed fee	Collector	Collector
22	L.10A	Retail vend of beer having 3 percent alcoholic contents for consumption of the premises in the rural areas only	Fixed fee	Collector	Not renewable
23	L.10B	Retail vend of Wine, beer and imported foreign liquor to departmental stores located in shopping malls	Fixed fee	Collector	Collector
24	L.10C	Retail vend of beer manufactured by microbrewery	Fixed fee	Collector	Collector
25	L.10E	Retail vend of low alcoholic content drinks in the district of Gurugram, Faridabad, Panchkula and IMT Manesar	Fixed fee	Collector	Collector
26	L.11	Bottling of foreign liquor	Fixed fee	Collector	Collector
27	L.12	Vend of medicated wines	Fixed fee	Collector	Collector
28	L.12A	Temporary license to serve liquor at commercial places like banquet halls, farm houses, community centres, marriage places etc.	Fixed fee	Dy. Excise and Taxation Commissioner(Excise)	Dy. Excise and Taxation Commissioner (Excise)
29	L.12B	License for the retail vend of foreign liquor at bar attached permanently to a theatre or cinema or other such place of entertainment	Assessed fee (plus fixed fee in case of cinema	Collector	Collector
30	L.12C	License for the retail vend of foreign liquor and beer at a club	Fixed fee	Collector	Collector
31	L.12CC	License for retail vend of foreign liquor and beer to the Golf Clubs	Fixed fee	Collector	Collector
32	L.12D	License for the manufacture and possession of sacramental wine for use on special occasion	Free	Collector	Collector

				Authority empowered to	
Serial Number	**Form**	**Nature**	**Mode of Grant**	**Grant**	**Renew**
33	L.13	Wholesale vend of Country liquor to the highest revenue contributor of retail vends in the district only	Fixed fee	Collector	Collector
34	L.13A	Wholesale vend of Rum and Gin of the strength of 50 degree proof to the trade only	Fixed fee	Collector	Collector
35	L.14	Retail vend of country spirit for consumption of the premises	E-Tender	Collector	Not renewable
36	L.14A	Retail vend of country spirit for consumption off and on the premises to the trade	E-Tender	Collector	Not renewable
37	L.14B	Retail vend of country spirit at a fair or on special occasion	Private contract	Financial Commissioner	Financial Commissioner
38	L.15	Bottling of country spirit	Fixed fee	Collector	Collector
39	L.16	Reduction of country spirit	Free	Collector	Collector
40	L.17	Vend of denatured spirit wholesale and/ or retail	Fixed fee	Collector	Collector
41	L.19	Vend of rectified spirit wholesale and/or retail	Fixed fee	Collector	Collector
42	L.21	Extension of hours during which sale is permitted	Fixed fee	Collector	Collector

ANNEXURE-II

(see rule 7)

Sr. No.	District	No. of L-1 License	No. of L-13 License
1	2	3	4
1	Ambala	3	3
2	Bhiwani	3	4
3	Faridabad	6	5
4	Fatehabad	2	3
5	Gurugram(E)	4	3
6	Gurugram(W)	4	4
7	Hisar	3	5
8	Jagadhri	3	3
9	Jhajjar	3	3
10	Jind	2	4
11	Kaithal	2	3
12	Karnal	4	6
13	Kurukshetra	2	2
14	Mewat	2	2
15	Narnaul	2	3
16	Palwal	3	3
17	Panchkula	3	2
18	Panipat	3	4
19	Rewari	4	3
20	Rohtak	3	3
21	Sirsa	3	5
22	Sonipat	4	5

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

56980—C.S.—H.G.P.,Chd.